-1-

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

प्र0क0 /एक/2016 विविध R-2231-I-16

बबलेश पुत्र चन्द्रभान पटैल (कुर्मी)

ग्राम भैरोगॅज (लुगासी) तहसील

नौगॉव, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

दिनांक 5-7-16 को श्री बी.पी. नायक का० द्वारा प्रस्तुत/

विरूद्ध

5-7-16 50

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा कलेक्टर छतरपुर ---अनावेदक

शाखा प्रभारी (रा.म.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

(विविध आवेदन अंतर्गत धारा 8, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 एंव व्यवहार प्रकिया संहिता, 151 - न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर के प्रकरण कमांक 2 अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-3-2015 का पालन कराये जाने वावत्)

कृ0पृ0उ0-2

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 2231-एक/2016 विविध जिला छतरपुर

आदेश तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभिभाषक के हस्ताक्षर
6-7-16	यह विविध आवेदन अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ- 6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 08 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 151 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण का सारॉश। यह है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 2 अ- 6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 में अंकित अनुसार ग्राम लुगासी के कुल किता 37 कुल रकबा 20.890 हैक्टर में दुर्गा पुत्र गणेश उर्फ गनेशा कुर्मी के हिस्से पर हिस्सा 2.525 है0 भूमि थी एंव वह अभिलिखित सह भूमिस्वामी थे, जिनकी मृत्यु उपरांत अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर ने प्रकरण कमांक 2 अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 से बसीयत के आधार पर बबलेश पुत्र चन्द्रभान पटैल (कुर्मी) का नामान्तरण स्वीकार किया। आवेदक व्दारा विविध आवेदन प्रस्तुत कर मॉग की गई है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-6/14-15 में पारित आदेश। दिनॉक 18-3-2015 का अभिलेख में अमल नही किया जा रहा है इसलिये आदेश का पालन कराया जावे। 3/ विविध आवेदन में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।	

प्रकरण कमांक 2231-एक/2016 विविध

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 से आवेदक के हित में दिये गये नामान्तरण आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में तहसील के राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा नहीं किया जा रहा है जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम हो चुका है , इसलिये मण्डल व्दारा अधीक्षण शक्तियों के कम में पालन कराने के आदेश दिये जॉय ।

म0प्र0शासन के पैनल लायर का तर्क है कि अधीक्षक भू अभिलेख व्दारा पारित आदेश का पालन तहसीलदार व्दारा क्यों नहीं किया जा रहा है आवेदक के अभिभाषक बताने तैयार नहीं है इसलिये प्रकरण इसी-स्तर पर समाप्त किया जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अधीक्षक भू अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 2 अ- 6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 में अंकित अनुसार मृतक दुर्गा पुत्र गणेश उर्फ गनेश कुर्मी ग्राम लुगासी के कुल किता 37 कुल रकबा 20.890 हैक्टर में हिस्सा 2.525 है0 के अभिलिखित भूमिस्वामी रहे हैं और यह भी सही है कि उनकी मृत्यु उपरांत अधीक्षक भू अभिलेख छतरपुर ने आदेश दिनांक 18-3-2015 से बसीयत के आधार पर आवेदक का नामान्तरण किया है। यदि अधीक्षक भू अभिलेख जिला

प्रकरण कमांक 223/-एक/2016 विविध

छतरपुर के प्रकरण कमांक 2 अ- 6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 के विरूद्ध अपील/निगरानी नहीं हुई है एंव आदेश अंतिम रूप ले चुका है, तब इस आदेश का पालन होना चाहिये, जबकि आवेदक के अभिभाषक के अनुसार तहसीलदार नौगॉव को आवेदन करने पर भी उनके व्दारा उक्तादेश अमल नहीं किया जा रहा है जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत कार्यवाही है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर विविध आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौगॉव जिला छतरपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अधीक्षक भू. अभिलेख जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 2 अ- 6/2014-15 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2015 का पुष्टिकरण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आदेश का अमल शासकीय अभिलेख में करावें।

सदस्य